डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

No. HQ/PIO/RTI/253/15 **Date: 06.08.2015**

श्री कपिल कुमार,
वार्ड 9, सुभाष पुरी द्वौराला,
मेरठ।

Sub: Information under RTI Act- 2005

Ref: Your application dt.02.07.2015, received in this office on 08.07.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

मांगी गई सूचना	उपलब्ध सूचना
निवेदन है कि जनसूचना अधिकार– 2005 के अर्न्तगत प्राथी आपसे यह जानकारी चाहता है कि भारतीय रेल के ईस्ट्न कोरिडोर के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहण करने की प्रकिया से अवगत कराने की कृपा करें। श्रीमान जी से निवेदन है कि किस दर से किसानों को उनकी अधिगृहित की गयी भूमि का मुआवजा दिया गया है। क्या अधिगृहित कृषक या उसके वारिस को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना है। कृप्या विस्तार से बतायें।	1. जनपद बुलन्दशहर में परियोजना से प्रभावित ग्रामों तथा उसमें दिये जा रहे प्रतिकर की सूची संलग्न है। 2. रेल संशोधन अधिनियम–2008 की धारा–20ए की अधिसूचना के पश्चात सम्बन्धित भूस्वामियो/कास्तकारों को अपनी आपत्ति/दावा 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। निर्धारित अवधित में प्राप्त आपत्तियों/दावों का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा करने के उपरान्त धारा–20ई के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। तदोपरान्त धारा–20एफ तथा 20जी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। 3. रेल संशोधन अधिनियम–2008 की धारा–20च (8) के अनुसार धारा–20ए की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक को प्रभावी बाजार मूल्य के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अधिग्रहीत की गयी भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। धारा –20छ(1) के अनुसार धारा–20ए की अधिसूचना के प्रकाशन से तीन वर्ष पूर्व की अवधि में अधिग्रहीत की गयी भूमि के समान वर्ग की भूमि के निष्पादित विकय पत्रों में से उच्चतम दर के 50 प्रतिशत से अन्यून, विकय पत्रों की औसत दर तथा जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क हेतु निर्धारित क्षेत्रीय दर में से जो भी अधिक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर हेतु बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति–2007 पर आधारित मौलिक पात्रता के खण्ड–क(III) के अनुसार क्षेत्र में राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य परियोजना में अधिग्रहीत की गयी समान वर्ग की भूमि में दिये गये बाजार मूल्य के आधार पर, परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने का प्राविधान है।

	4. कई राज्यों में फैले डीएफसी प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ और जटिलताएं हैं जो एक मुददा है और जिसपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

DA: As above

(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to:- CPM/Meerut